

हिन्दी लघुकथा का शिल्प और कथ्य



रहमान मुसव्विर

एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली, भारत

सारांश

लघुकथा रचनात्मक अभिव्यक्ति की सशक्त विधा है। सरोकार की दृष्टि से लघुकथा जीवन की सम्पूर्णता के लिए सूक्ष्म कथा है। यह जीवन के किसी क्षण का संक्षिप्त चित्रण करते हुए भी एक पूरी कहानी कह देती है। यह सर्वमान्य सत्य बन चुका है कि लघुकथा कथा साहित्य की स्वतन्त्र और सशक्त विधा है। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कहानी और उपन्यास का। लघु कथा के सूत्र लोक साहित्य, पौराणिक साहित्य और जातक कथाओं में स्पष्ट देखे जा सकते हैं लेकिन बाकायदा तौर पर लघुकथा को मान्यता 1932 में कन्हैयालाल प्रभाकर की छोटी कहानियों से मिली। लघुकथा की पहली शर्त उसका अपने आकार में लघु होना है। लघुकथा अपनी संरचना और कलेवर में इतनी लघु है कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है। इसमें उपन्यास और कहानी की भाँति कथानक के विस्तार का अवकाश नहीं है। यह बिजली की तरह कौंधती है और चमत्कृत कर देती है। लघुकथा की एक विशेषता यह भी है कि वह प्रतीकों के माध्यम से अपने मंतव्य तक पहुँचती है। प्रतीक कथ्य को सघन तो बनाते ही हैं, उनमें कलात्मकता भी पैदा करते हैं। लघुकथा का शिल्प संक्षिप्तता, सघनता, प्रतीकात्मकता, अभिव्यंजना, रूपक-निर्माण, शब्द मितव्ययता और चुस्त वाक्यों से निर्मित आधारशिला पर विशिष्ट रूप ग्रहण करता है। लघुकथा कथ्य और विषय की विविधता की दृष्टि से इतनी समृद्ध है कि वह जीवन की विभिन्न समस्याओं को सम्बोधित करते हुए साहित्य में सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

मुख्य शब्द : लघुकथा, कथ्य, शिल्प, विधा, समस्या, प्रतीक।
प्रस्तावना

साहित्य केवल मानव मन के अनुरंजन का साधन मात्र नहीं है। वह सामाजिक संदर्भों के साथ जुड़कर मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की दिशा में काम करता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में कथा साहित्य इन अर्थों में विशिष्ट है कि यह अपने आरम्भ से ही सामाजिक सरोकारों से संबद्ध रहा है। पुरा कथाओं, मिथक कथाओं और जातक कथाओं की कोख से उत्पन्न हिंदी कथा साहित्य ने विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए जो वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया है वह मानवीय सम्वेदनाओं से कभी असंपृक्त नहीं रहा है। कहानी हो या उपन्यास, दोनों में मानव जीवन का विशद और यथार्थपूर्ण चित्रण हुआ है। इसी कथा परिवार की सबसे नई सदस्य है – लघुकथा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कहानी की यह विधा अपने कलेवर में अत्यंत लघु है। किन्तु आकर में लघु होने मात्र से यह कहानी और उपन्यास से कमतर नहीं हो जाती है। यह सर्वमान्य सत्य बन चुका है कि 'लघुकथा' कथा साहित्य की स्वतन्त्र और सशक्त विधा है। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कहानी और उपन्यास का।

शोध का उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य लघुकथा के शिल्प की बारीकियों का अन्वेषण करना तथा यह समझने का प्रयास है कि लघुकथा की संरचना में किन तत्वों का समावेश है। इस अध्ययन का दूसरा उद्देश्य यह जानना है कि लघुकथा कथ्य के स्तर पर किन बिन्दुओं को स्पर्श करती है।

साहित्यावलोकन

हिंदी लघुकथा साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त शोध हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंध भी लिखे गए हैं और स्वतन्त्र रूप से भी इस दिशा में कार्य हुआ है। कुछ उल्लेखनीय शोध प्रबंध इस प्रकार हैं—

आधुनिक हिंदी साहित्य में लघुकथाओं के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन, सीता हांडा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1959

हिंदी लघुकथाओं में सामाजिक तत्त्व, कुसुम जायसवाल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 1962
हिंदी लघुकथा का वस्तुगत और शिल्पगत अध्ययन, सुशीला गुप्ता, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय (कानपुर विश्वविद्यालय), 1992

लघुकथा का विकास एवं मूल्यांकन, शोभा भारती, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 2011

हिंदी लघुकथा: एक आलोचनात्मक अध्ययन, राकेश कालिया, कालीकट वि. वि., 2009

हिंदी लघुकथा एक अनुशीलन, पटेल महेशकुमार एम., गुजरात विद्यापीठ, 2006

स्वतन्त्र रूप से भी लघुकथा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बलराम अग्रवाल का है। 'हिंदी लघुकथा का मनोविज्ञान' और 'समकालीन लघुकथा और प्रेमचंद' उनकी आलोचना पुस्तकें हैं और 'बीसवीं सदी की लघुकथाएं' चार खंड में लघुकथाओं का संचयन है। इनके अतिरिक्त 'भारत का हिंदी लघुकथा संसार (डॉ रामकुमार घोटड), 'लघुकथा लेखन' (कांता राय) 'लघुकथा का वर्तमान परिदृश्य' (रामेश्वर काम्बोज हिमांशु) हिंदी लघुकथा के सिद्धांत (भागीरथ परिहार) लघुकथा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।

विषय प्रस्तुति एवं विश्लेषण

लघुकथा की पहली शर्त उसका अपने आकार में लघु होना है। कहा जा सकता है कि 'लघुकथा का आशय घटना या समय के हिसाब से क्षण क्षण की कथा किन्तु सम्बेदना या सरोकार की दृष्टि से जीवन की सम्पूर्णता के लिए सूक्ष्म कथा'¹ है। अशोक लव के शब्दों में कहें तो 'लघुकथा अपनी संक्षिप्तता में जीवन की व्यापकता लिए रहती है। यह मानव चरित्र के एक बिंब, मन के एक भाव, जीवन की एक घटना, घटना के एक अंश और काल खंड के एक क्षण का संक्षिप्त चित्रण करते हुए भी एक पूरी कहानी कह देती है।'² लघुकथा अपने आप में इतनी पूर्ण, सशक्त और सम्प्रेषणीय है कि उस पर लम्बे व्याख्यान या आलोचना की न तो गुंजाइश है और न ही जरूरत। यह सर्वमान्य सत्य बन चुका है कि 'लघुकथा' कथा साहित्य की स्वतन्त्र और सशक्त विधा है। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कहानी और उपन्यास का। लघु कथा के सूत्र लोक साहित्य, पौराणिक साहित्य और जातक कथाओं में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। कहने वाले तो माधवराव सप्रे की 'एक टोकरी भर मिट्टी'(1901) को भी लघु कथा कहते हैं जबकि उसे हिन्दी की पहली कहानी भी कहा जाता है। छबीलेलाल गोस्वामी की कहानी 'विमाता' भी इसी श्रेणी में आती है। वैसे यह बहस बेमानी है कि पहली कहानी कौन सी है। इन कहानियों को आरंभिक कहानियां कहना अधिक उपयुक्त होगा। और ये कहानियां कहानी तथा लघुकथा का मिला जुला रूप हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर लघुकथा को मान्यता 1932 में मिली जब अज्ञेय की नजर कन्हैयालाल प्रभाकर की छोटी कहानियों पर पड़ी और उन्होंने कहा कि "यह हिन्दी की छोटी कहानी है और कहानी के इतिहास में इसे आपकी देन माना जाएगा"³ कन्हैयालाल प्रभाकर की इन कहानियों पर प्रेमचंद के

उद्गार थे कि "शाबाश, यह एक नई कलम है। गद्य काव्य और कहानी के बीच की नई पौध। जिसमें गद्य काव्य का चित्र और कहानी का चरित्र है।"⁴

लघु कथा अपनी संरचना और कलेवर में बहुत लघु है। इतनी लघु कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है। इसमें उपन्यास और कहानी की तरह बड़े कथानक की गुंजाइश नहीं है। यह बिजली की तरह कौंधती है और चमत्कृत कर देती है। यह गजल के शेर की तरह है ... नपी तुली, संक्षिप्त, सारगर्भित, कसी हुई। यह इतनी धारदार होती है कि निशाने पर लगती है और घुसती चली जाती है। यदि भाषा, कहन, कथ्य, भाव और आकार में ढीलापन और लिजलिजापन है तो लघुकथा लघुकथा बनते बनते रह जाएगी। बिलकुल वैसे ही जैसे गजल का शेर ! जैसे दो मिसरे हमेशा शेर नहीं होते, जब तक कि उनमें शेर के तकाजे पूरे न हों, वैसे ही कोई कहानी भी हमेशा कहानी नहीं बनती है। किसी कहानी में भी वह जगह तलाश करनी होती है जहां कहानी बनती है। सामान्य रूप से जो कुछ घट रहा है उसके बीच कुछ असामान्य हो जाए जो चेतना को झकझोर दे, संवेदना को जाग्रत कर दे, भावों को उद्देलित कर दे, वहां कहानी बनना शुरू होती है। लघु कथा के सिलसिले में एक बात और— लघु कथा की अंतिम पंक्तियों में लेखक का बोलना लघुकथा के पूरे सौन्दर्य को नष्ट कर देता है। कसाव, लघुता और सौन्दर्य की दृष्टि से खलील जिब्रान की लघु कथाएँ बेजोड़ हैं। उनकी कहानी 'मेजबान' को देखा जा सकता है —

"कभी हमारे घर को भी पवित्र करो

करुणा से भीगे स्वर में भेड़िये ने भोली भाली भेड़ से कहा

भेड़ ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया—

'मैं जरूर आती बशर्ते तुम्हारे घर का मतलब तुम्हारा पेट न होता'⁵

लिखी गई पंक्तियों के बीच की खाली जगह में जो कुछ छुपा होता है वास्तव में वही साहित्य है। उस खाली जगह को पकड़ना पाठक का काम है। लघुकथा के सन्दर्भ में तो यह बात और भी सटीक बैठती है। लघुकथा को यदि शब्दों के बीच फैला दिया गया तो वह लघुकथा ही नहीं रहेगी। संक्षिप्तता उसका पहला गुण है। सफल लघुकथा लेखक कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कहने का हुनर जानता है। इस संदर्भ में मंटो की कहानी 'हमेशा की छुट्टी' देखी जा सकती है—

"पकड़ लो, पकड़ लो, देखो जाने न जाए"

शिकार थोड़ी—सी दौड़—धूप के बाद पकड़ लिया गया

जब नेजे उसके आर पार होने के लिए आगे बढ़े तो उसने लरजाँ आवाज में गिड़गिड़ाकर कहा:

"मुझे न मारो... मैं छुट्टियों में अपने घर जा रहा हूँ।"⁶

कहानी खत्म होती है और पाठक का दिल बैठ जाता है। पूरा वजूद लरज जाता है।

लघुकथा अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए शब्दों का ताना बाना नहीं बुनती है, बल्कि तेजी के साथ

उद्देश्य को संप्रेषित कर देती है। डॉ. हरिमोहन ने ठीक ही लिखा है कि 'प्रभावान्विति लघुकथा के लिए अत्यावश्यक है। चुस्त दुरुस्त भाषा में लिपिबद्ध कोई घटना, विचार या दृष्टिकोण एक चुभन के रूप में प्रभाव डालता है। यह चुभन बिंदु धीरे धीरे फैलता जाता है। यह विस्तार के लिए अवकाश नहीं, न आदमी को बहला-फुसलाकर घेर लाने के लिए समय। यह विधा तो फौरी कार्रवाई करने की पक्षधर है, तत्काल आक्रमण।'⁷ लघुकथा किसी समस्या का समाधान नहीं देती है बल्कि समस्या की तरफ बहुत पैनेपन के साथ संकेत करती है। इस बात को एक दृश्य द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए घनेरी अंधेरी रात है। मेघ छाए हुए हैं। दूर तक सन्नाटा है। कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बिजली चमकती है। पलभर के लिए रास्ता दिखाई देता है और फिर अन्धेरा। लेकिन एक संकेत, एक सूत्र अवश्य मिल जाता है कि किधर जाना है, कैसे बढ़ना है।

लघुकथा अपने समय और समाज से सीधे संवाद करती है। इनका कैनवास शिक्षाप्रद बोधकथाओं से लेकर, राजनैतिक गलियारों से होता हुआ मानव मन की गहराइयों तक फैला हुआ है। जड़ हो चुकी व्यवस्था के प्रति रोष, सामाजिक विसंगतियाँ, शोषण की चक्की में पिसता हुआ जन सामान्य, अत्याचार, बदलते हुए मानवीय मूल्य, साम्प्रदायिकता, भूमंडलीकरण, किसान-मजदूर, पारिवारिक समस्याएँ, विवाहेतर सम्बन्ध, दलित समस्या, स्त्री स्वतंत्रता... कौन सा ऐसा विषय है जिसे लघुकथा में छुआ नहीं गया है। जितना विविधता भरा यह संसार है उतने ही विविधतापूर्ण हैं लघुकथा के विषय। कुछ विषय तो इतने अछूते और विशिष्ट होते हैं कि वे केवल लघुकथा में ही प्रभावशाली ढंग से समा सकते हैं। कहानी या लम्बी कहानी में उद्देश्य के बिखरने का खतरा बना रहता है। इस दृष्टि से हिन्दी की कुछ लघुकथाओं का अनुशीलन किया जा सकता है –

भ्रष्टाचार भारतीय समाज का कटु सत्य बन चुका है। हमारे समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि इसका समाधान अब सुझाई नहीं देता है। अब तो भ्रष्टाचार को लगभग स्वीकार कर लिया गया है। किसी को घूसखोरी से शर्म भी महसूस नहीं होती है। योगेन्द्र दवे की लघुकथा "हिस्से" इसी पर केन्द्रित है—

"आयकर निरीक्षक ने दुकानदार के बहीखाते आदि देखकर कहा, "बहुत गोलमाल है... कम से कम दस हजार जुर्माना होगा, हो सकता है सजा भी हो जाए।" दुकानदार उठा और अंदर गया। तुरंत फाइल लेकर बाहर आया। फाइल निरीक्षक के सामने रख दी। क्लियरेंस सर्टीफिकेट था। निरीक्षक बुदबुदाया, साला माथुर पहले ही हाथ मार गया।"⁸

भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में राजनीति द्वारा पोषित होता है। राजनीति अपराध का शरण स्थल है। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बनकर उभरे हैं। सत्ता किस प्रकार अपने से कमजोर का दमन करती है इसको रामनारायण उपाध्याय ने "सिंह-न्याय" शीर्षक कहानी में प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है—

"एक बार एक सिंह का बच्चा, एक हाथी के पैरों तले कुचल गया। एक सियार ने उसे देख लिया। शाम

को जब सिंह घर आया तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ। बोला— जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नजदीक खड़े सियार ने कहा— "यदि अपराध क्षमा करें तो एक बात बताऊँ। अभी अभी मेरी आँखों के सामने एक मर्दोमत्त हाथी ने अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार डाला।" सिंह ने मन ही मन हाथी के बल का अंदाजा किया और फिर दृढ़ निश्चय के स्वर में बोला— "नहीं, हाथी कदापि ऐसा नहीं कर सकता। वह एक समझदार जानवर है।" और वह नजदीक ही चरती हुई बकरियों के झुण्ड पर बदला लेने के लिए पिल पड़ा।"⁹

अशोक गुजराती की कहानी "चित-पट" भी राजनीति, अपराध और पुलिस की सांठ गाँठ या 'मजबूरी' को सशक्त ढंग से बयान करती है— "इंस्पेक्टर ने अफसर के आदेश पर रामलाल के खिलाफ सुबूत इकट्ठे किए और गिरफ्तार कर लिया। रामलाल विपक्ष का बड़ा नेता था। थाने में रामलाल ने एक फोन की अनुमति मांगी। बात करने बाद उसने यह कहते हुए इंस्पेक्टर को फोन पकड़ाया— "पुलिस कमिश्नर..."

—सर मैं इंस्पेक्टर काटे

—काटे रामलाल जी को छोड़ दो

—लेकिन सर आपने ही तो

—तुमने शायद आज का अखबार नहीं देखा ?

—जी, हाँ, न.. नहीं.. वो क्या ...

—रामपाल जी अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं"¹⁰

लघुकथा की एक विशेषता यह भी है कि वह प्रतीकों के माध्यम से अपने मंतव्य तक पहुँचती है। प्रतीक कथ्य को सघन तो बनाते ही हैं, उनमें कलात्मकता भी पैदा करते हैं। अवधेश कुमार द्वारा लिखित कहानी 'उसके कपड़े' बिना किसी का नाम लिए बहुत कुछ कह जाती है। आज के समय में यह पूरी लघुकथा ही प्रतीक बनकर सामने आती है—

"बहुत मुश्किल से दूंस टांसकर वह उन कपड़ों में समा पाता है, जो उसका नाप लिए बगैर बना दिए गए। बहुत खींचतान कर वो कपड़े उस आदमी के शरीर से जुड़ पाते हैं, जिस आदमी को कभी भी उन कपड़ों के मुताबिक नहीं बनाया जा सका था।

ये कपड़े बहुत कीमती थे। वे कपड़े उस आदमी के लिए खास तौर पर बनाए गए थे और उन कपड़ों को उस आदमी ने बड़ी कठिनाई और चाव के साथ पहना था। यह एक कहावत है कि इन कपड़ों में वह आदमी नहीं लगता था।"¹¹

लघुकथा विसंगतियों की कोख से उत्पन्न होती है। हर घटना या समाचार लघुकथा का रूप धारण नहीं कर सकता। किसी विशेष परिस्थिति या घटना को जब लेखक अपनी रचनाशीलता और कल्पना का पुट देकर कलमबंद करता है तब एक लघुकथा का खाका तैयार होता है।¹² किसी घटना को जितनी कुशलता से शब्दों के आश्रय तथा शिल्प के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति में ढाला जाता है वह उतनी ही विशिष्ट और प्रभावशाली बनाती है। अनिल जनविजय की कहानी "परेशानी" का उल्लेख लघुकथा के वैशिष्ट्य को सिद्ध करेगा—

“मैं सरकारी सूचना निदेशालय में कार्यरत हूँ। मेरा काम है जनता द्वारा मांगी गई विभिन्न जानकारियों को सरकारी तौर पर उपलब्ध कराना। कल मेरे पास एक अजीब प्रार्थना पत्र आया है जिसमें पूछा गया है—हमारे देश में विभिन्न नीतियों के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में की जा रही बत्तमीजियों और फ्रॉड्स के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं परेशान हूँ इसका सरकारी जवाब क्या दिया जाए !”¹³

बत्तमीजियों और फ्रॉड्स की जिम्मेदारी का सवाल कोई साहित्यकार ही उठा सकता है। इस नुकीले सवाल के लिए पैनी और धारदार विधा की दरकार थी। स्पष्ट है कि लघुकथा से अच्छा माध्यम कोई और नहीं हो सकता था। ऐसे असंख्य विषय हैं जिनपर सिर्फ लघुकथा के माध्यम से ही चोट की जा सकती है।

लघुकथा में विषयों की विविधता, समस्या और तेजी से बदलते हुए परिवेश पर बात करते हुए राजेन्द्र यादव की लघुकथा “माँ की कमर” बार बार मन में गूँजती रही। इस कहानी का विषय ऐसा है कि रचनाकार यदि शिल्प पर और विशेष कर लघुकथा के शिल्प पर मजबूत पकड़ नहीं रखता तो लघुकथा लिजलिजी हो सकती है। लघुकथा यूँ है—

“पापा, माँ की कमर बहुत चिकनी है न?

कौन कहता है?

माँ का दिल धडका।

‘आप’ बच्चे ने कहा। पापा ने बच्चे को हंसकर गले लगा लिया। माँ ने मुक्ति की साँस ली।”¹⁴

यह लघु कथा मात्र छः छोटे छोटे वाक्यों पर आधारित है। ‘माँ का दिल धडका’ में चार शब्द हैं। ये चार शब्द लघुकथा को बहुत विस्तृत कैनवास देते हैं। इन चार शब्दों के बीच जो छुपी हुई दुनिया है, जो रहस्य है, जो भय है, पाठक उसे पकड़ता है और एक बारगी उसका भी दिल धडक उठता है।

लघुकथा पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वे मात्र चुटकुला बनकर रह जाती हैं और उनमें कोई गम्भीरता नहीं होती है। ऐसी लघुकथाएँ प्रायः पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं जिनसे यह धारणा प्रबल होती है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि लघुकथा चुटकला या उसके आसपास की कोई विधा या रचना-रूप है। आधुनिक लघुकथा ने लंबी यात्रा तय की है। विष्णु प्रभाकर का मत है कि ‘लघुकथा ने दृष्टांत, रूपक, लोककथा, बोधकथा, नीतिकथा, व्यंग्य, चुटकुले, संस्मरण... ऐसी अनेक मंजिलें पार करते हुए वर्तमान रूप पाया है और अपनी सामर्थ्य को गहरे अंकित किया है। वह अब किसी गहन तत्व को समझाने, उपदेश देने, स्तब्ध करने, गुदगुदाने और चौंकाने काम नहीं करती बल्कि आज के यथार्थ से जुड़कर हमारे चिंतन को धार देती है।’¹⁵ उदाहरण के लिए चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी “भूगोल” को देखा जा सकता है—

“एक शिक्षक को अपने इंस्पेक्टर के दौरे का भय हुआ और वह क्लास को भूगोल रटाने लगा। कहने लगा कि पृथ्वी गोल है। यदि इंस्पेक्टर पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, और तुझे याद न हो, तो मैं सूँघनी की

डिबिया दिखाऊँगा, उसे देखकर उत्तर देना। गुरुजी की डिबिया गोल थी।

इंस्पेक्टर ने आकर वही प्रश्न विद्यार्थी से किया। उसने बड़ी उत्कंठा से गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी ने जब से चौकोर डिबिया निकाली। भूल से दूसरी निकल आई। लड़का बोला—बुधवार को पृथ्वी चौकोर होती है और बाकी सब दिन गोल।”¹⁶

सरसरी तौर पर प्रस्तुत लघुकथा चुटकुला या हास्य रचना लग सकती है, जबकि वास्तव में यह शिक्षा व्यवस्था की बखिया उधेड़ती हुई लघुकथा है। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली और उसकी विफलता की पूरी पोल पट्टी यह कहानी एक झटके के साथ खोल देती है।

धार्मिक वैमनस्य और साम्प्रदायिकता ने भारतीय समाज की समरसता को तोड़ने का काम किया है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय समाज का ताना-बाना पारस्परिक सद्भाव और विश्वास पर टिका है। सतीश राठी की कहानी “हथियार” इसी तरफ इशारा करती है—

“शहर में दंगा। हाथ के हथियार को घृणा और गुस्से के सम्मिलित बल से तानकर हिन्दू ने मुसलमान से कहा—‘तुम सब पहले मेरे देश में घुसे, फिर शहर में, अब मेरे होहल्ले में घुसपैठ !... मैं ... अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।’

‘हाँ, माना मैं तुम्हारे देश, शहर, और मोहल्ले में घुसपैठ करके रहने लगा। लेकिन दोस्त मत भूलो कि मैंने तुम्हारे दिल में निवास किया है।’

हिन्दू का हथियार हाथ से छूटकर गिर गया।”¹⁷

साम्प्रदायिकता की समस्या पर असगर वजाहत ने बहुत दमदार कहानियाँ और लघु कथाएँ लिखी हैं। ‘शाह आलम कैम्प की रूहें’ या ‘गुरु चेला संवाद’ कहानियों की एक सीरीज के रूप में लिखी गई हैं। प्रत्येक कहानी एक स्वतंत्र लघुकथा भी है और एक साथ मिलकर पूरे परिदृश्य का भी निर्माण करती हैं। असगर वजाहत की यह शैली रोचक और अद्भुत है। उनकी लघुकथा सीरीज “शाह आलम कैम्प की रूहें” से एक लघुकथा इस प्रकार है —

“शाह आलम कैम्प में आधी रात के बाद एक बच्चे की रूह आती है ... बच्चा रात में चमकता हुआ जुगनू जैसा लगता है ... इधर-उधर उड़ता फिरता है ... पूरे कैम्प में दौड़ा-दौड़ा फिरता है . . . उछलता-कूदता है ... शरारतें करता है ... तुतलाता नहीं ... साफ-साफ बोलता है ... माँ के कपड़ों से लिपटा रहता है ... बाप की उंगली पकड़े रहता है।

शाह आलम कैम्प के दूसरे बच्चे से अलग यह बच्चा बहुत खुश रहता है।

‘तुम इतने खुश क्यों हो बच्चे?’

‘तुम्हें नहीं मालूम ... ये तो सब जानते हैं।’

‘क्या?’

‘यही कि मैं सुबूत हूँ।’

‘सुबूत? किसका सुबूत?’

‘बहादुरी का सुबूत हूँ।’

‘किसकी बहादुरी का सुबूत हो?’

‘उनकी जिन्होंने मेरी मां का पेट फाड़कर मुझे निकाला था और मेरे दो टुकड़े कर दिए थे’¹⁸

वस्तुतः लघुकथा रचनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। “लघुकथाएं आम आदमी की छटपटाहट, पीड़ा, संत्रास, घुटन, विसंगति, खोखलापन, टूटन, आक्रोश और शोषण को मार्मिक शब्दावली में अभिव्यक्त करती हैं। पाठक इन समस्याओं का या तो भोक्ता होता है या दर्शक। यह जीवन की जटिलताओं को अनुभूति और संवेदना के धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। यही कारण है कि जब वह इन समस्याओं से रू-ब-रू होता है तो उसे यह आपबीती प्रतीत होती है। उस लघुकथा का उद्देश्य उस कुव्यवस्था का चित्रण करना है जिसमें गरीबी, मंहगाई, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, लालफीताशाही, जातिवाद, तस्करी, शोषण और सामंती प्रवृत्ति विद्यमान है।”¹⁹ आज जीवन में जिस प्रकार की आपाधापी और जल्दबाजी है, उसमें पाठक के पास अवकाश ही नहीं है कि वह लम्बी कहानियाँ पढ़ सके। ऐसे समय में पाठक की पिपासा और समय की आवश्यकता दोनों को एक साथ पूरी करने में लघुकथा सक्षम है।

निष्कर्ष

लघुकथा के शिल्प और कथ्य पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि लघुकथा रचनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। क्योंकि यह अपने आकार में अति लघु होती है अतः ऐसी भाषा और शिल्प का अन्वेषण लघुकथाकार को करना पड़ता है कि कथा का उद्देश्य पाठक तक सफलतापूर्वक संप्रेषित हो जाए। लघुकथा की भाषा का चुस्त और सुगठित होना आवश्यक है। लघुकथा में अनावश्यक शब्दों के आडंबर से बचा जाता है। लघुकथा का अंतिम वाक्य प्रायः कोई संवाद होता है जो यकायक विद्युत की भांति कौंधकर विस्मित कर देता है। प्रतीक लघुकथा का विशेष गुण है। प्रतीक न्यूनतम शब्दों में कहानी के आशय को सघनता से व्यक्त करने में सहायक होते हैं। लघुकथा की विषय वस्तु वैविध्यपूर्ण है। इसका कथ्य सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को स्पर्श करते हुए एक व्यापक फलक का निर्माण करता है। परिवार, पारिवारिक समस्याएँ, रिश्ते, प्रेम और विवाहेत्तर सम्बन्ध से लेकर जड़ हो चुकी व्यवस्था के प्रति रोष, सामाजिक विसंगतियाँ,

शोषण, शोषित मजदूर, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बदलते हुए मानवीय मूल्य, साम्प्रदायिकता, भूमंडलीकरण, किसान-मजदूर, दलित समस्या, स्त्री मुक्ति इत्यादि विषयों ने लघुकथा के कैनवास को विस्तृत किया है।

अंत टिप्पणी

1. http://gadyakosh.org/gk/लघुकथा_का_निबंध_जयप्रकाश_मानस
2. साहित्यिक विधाएं: पुनर्विचार, डॉ. हरिमोहन, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-02, पृ-162
3. बीसवीं सदी की लघुकथाएं, खंड-1, सं.-बलराम, अमरसत्य प्रकाशन, दिल्ली-92, पृ-8
4. वही, पृ-8
5. http://gadyakosh-org/gk/मेजबान_खलील_जिब्रान
6. दस्तावेज-दो, सआदत हसन मंटो, राजकमल प्रकाशन दिल्ली-2, तीसरी आवृत्ति 2004, पृ.-294
7. साहित्यिक विधाएं: पुनर्विचार, डॉ. हरिमोहन, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-02, पृ-164
8. बीसवीं सदी की लघुकथाएं, खंड-3, सं.-बलराम, अमरसत्य प्रकाशन, दिल्ली-92, पृ-35
9. वही, खंड-1, पृ-91
10. वही, खंड-4, पृ-134
11. वही, खंड-1, पृ-224
12. मुट्टीभर अक्षर, सं-विवेक कुमार, नीलिमा शर्मा निविया, हिन्द-युग्म, जिया सराय, हौज खास, दिल्ली-16, 2015, पृ-8
13. वही, खंड-3, पृ-176
14. वही, खंड-1, पृ-106
15. हिंदी लघुकथा के सिद्धांत, भागीरथ परिहार, एजुकिएशन पब्लिशिंग, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-75, पृ-75
16. बीसवीं सदी की लघुकथाएं, खंड-1, सं.-बलराम, अमरसत्य प्रकाशन, दिल्ली-92, पृ-40
17. वही, खंड-3, पृ-159
18. मैं हिन्दू हूँ, असगर वजाहत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ-148-149
19. लघुकथा का विकास एवं मूल्यांकन, शोध-प्रबन्ध, शोभा भारती, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, 2011, पृ 417